[2021] 12 एस. सी. आर. 57

एन. राघवेंदर

वी.

आंध्र प्रदेश राज्य, सीबीआई

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 5)

13 दिसंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और

हिमा कोहली, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - एस. 13 (2) आर/डब्ल्यू. एस. 13 (1) (घ) दंड संहिता, 1860-एस. एस. 409 , 420 , 477 ए-विश्वास का आपराधिक उल्लंघन

लोक सेवक या बैंकर द्वारा-दृढ़ संदेह निर्णायक से कम है

सबूत-अभियोजन का मामला जिसमें नं. 3 - अपीलार्थी के बहनोई-शाखा प्रबंधक ने अकादमी का खाता खोला

जिसे वह खज़ानची था-कथित रूप से, अपीलार्थी और अन्य सह

बैंक में काम करने वाले आरोपी ने भी आरोपी नं. 3 द्वारा

उक्त खाते से राशि निकालने की अनुमति, इसके बावजूद

अपर्याप्त धन-अपीलार्थी पर आगे पूर्व-परिपक्व होने का आरोप लगाया गया एक ग्राहक से संबंधित दो एफ. डी. आर. को भुनाना जो राशि थी

उपरोक्त खाते में हस्तांतरित-सह-अभियुक्त द्वारा बरी किया गया विचारण न्यायालय-अपीलार्थी को समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः

अभिलेख पर मौजूद सामग्री अभियुक्त के बीच साजिश का खुलासा नहीं करती है इसके अलावा, खाते में पर्याप्त धन था

लोग विचाराधीन तीन चेक पास करना-केवल उपरोक्त खुले चेक जारी करना, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी

गैरकानूनी रूप से कार्य किया या आपराधिक दुराचार किया गया

ग्राहक ने समय से पहले निकासी और बाद में हस्तांतरण की मांग की थी या नहीं, इस तथ्य पर गंभीर विवाद

अकादमी के खाते में एफ. डी. आर. की आय-वह उक्त तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई थी।

जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए भौतिक रूप से घातक है-तथ्यों पर, बैंक/ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ-प्रत्यक्ष और प्रासंगिक साक्ष्य को रोका जा रहा है, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जा रहा है -

अभियोजन पक्ष यू/एस. एस. के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा। 409 , 420 & 477 ए, आई. पी. सी.

अपीलार्थी के खिलाफ उचित संदेह से परे-दोषसिद्धि यू /

एस. 13 (2) आर/डब्ल्यू एस। 13 (1) (घ) पी. सी. अधिनियम को भी कायम नहीं रखा जा सकता है।

आपराधिक कानून-कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न-नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिया गया समवर्ती दृष्टिकोण-हस्तक्षेप का दायरा-चर्चा की गई।

[2021] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 409 , 420 और 477 ए-के तहत आरोप

साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री-चर्चा की गई।

आपराधिक कानून-पुरुष अधिकार-आयोजितः एस में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द। 405 , आई. पी. सी. 'बेईमान' है-यह पुरुषों के अस्तित्व का अनुमान लगाता है -

दंड संहिता, 1860 - s.405। दंड संहिता, 1860s। 405 – ' संपत्ति सौंपना '-साबित करने के लिए बोझ-प्रारंभिक बोझ; बोझ का स्थानांतरण-चर्चा की गई।

बैंकिंग/बैंक-पारंपरिक बैंक लेनदेन

बैंक और ग्राहक के बीच संबंध-चर्चा की गई।

आपराधिक कानून-सबूत का मानक-घरेलू जांच बनाम आपराधिक आरोप-पर चर्चा की गई। शब्द और वाक्यांश-'धोखाधड़ी का इरादा' यू / s.477-ए-चर्चा किए गए दंड संहिता, 1860 के तत्व - s.477-A.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

1. आई. पी. सी. की धारा 409 किसी लोक सेवक या बैंकर द्वारा सौंपी गई संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है।

उसे। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि आरोपी, लोक सेवक या बैंकर को संपत्ति सौंपी गई थी

जिसके लिए वह विधिवत जवाबदेह होने के लिए बाध्य है और उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है। सार्वजनिक संपत्ति को सौंपना और बेईमान दुरुपयोग या तरीके से उसका उपयोग करना।

धारा 405 के तहत सचित्र एक बनाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है

आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध। आई. पी. सी. की धारा 405 में उपयोग किया गया महत्वपूर्ण शब्द 'बेईमान' है और इसलिए, यह पुरुषों के अस्तित्व से पहले का अनुमान लगाता है। दूसरी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है

ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक विश्वासघात किया है, आईपीसी की धारा 409 को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। 'संपत्ति सौंपना' एक व्यापक और सामान्य अभिव्यक्ति है। जबकि प्रारंभिक जिम्मेदारी इस पर है अभियोजन यह दिखाने के लिए कि विचाराधीन संपत्ति अभियुक्त को सौंपी गई थी, संपत्ति को सौंपने या उसके गबन के वास्तविक तरीके को आगे साबित करना आवश्यक नहीं है।

एन. राघवेंदर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सीबीआई

जहां अभियुक्त द्वारा 'प्रत्यर्पण' स्वीकार किया जाता है या अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है, तो बोझ अभियुक्त पर यह साबित करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है कि दायित्व सौंपे गए व्यक्ति के लिए है। संपत्ति कानूनी और संविदात्मक रूप से स्वीकार्य तरीके से की गई थी। [पारस 41-43,45] [81-D-F; 82-C-D, G-H; 83-A-B]

सदुपति नागेश्वर राव बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2012) 8 एससीसी 547: [2012] (6) एस. सी. आर. 1143-पर निर्भर।

लेकिन यह भी कि ऐसा करके, उसने बेईमानी से उस व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया है जिसे धोखा दिया गया है। इस प्रकार, इस अपराध के तीन घटक, अर्थात (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना,

((ii) धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रसव के लिए प्रेरित करना। किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति, और (iii) अभियुक्त का पुरुष अधिकार

प्रलोभन देने का समय। धोखाधड़ी के अपराध के लिए, धोखाधड़ी और बेईमान इरादे उस शुरुआत से मौजूद होने चाहिए जब वादा या प्रतिनिधित्व किया गया था। 'बेईमानी' वाक्यांश गलत लाभ या गलत नुकसान करने के जानबूझकर इरादे पर जोर देता है, और जब इसे धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण के साथ जोड़ा जाता है, तो अपराध के तहत दंडनीय हो जाता है।

आईपीसी की धारा 420। धारा 420 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के उद्देश्य से, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को इससे आगे भी स्थापित करना चाहिए। उचित संदेह, उसकी ओर से पुरुष कारण। जब तक शिकायत में यह नहीं दिखाया गया है कि शिकायतकर्ता के पैसे के साथ अलग होने के समय आरोपी का बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा था, तब तक यह आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध नहीं होगा और यह केवल

अनुबंध के उल्लंघन के लिए राशि। [पारस 47,48] [83-डी-एच]

3. आई. पी. सी. की धारा 477 ए के तहत एक आरोप में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा- (ए) कि आरोपी ने नष्ट कर दिया, बदल दिया, विकृत कर दिया या किताबें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागजात, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या खाते को गलत साबित किया; (बी) आरोपी ने अपने खाते में ऐसा किया।

नियोक्ता के लिपिक, अधिकारी या सेवक के रूप में क्षमता; (ग) पुस्तकें, कागजात आदि। अपने नियोक्ता से संबंधित है या उसके कब्जे में है या उसे अपने नियोक्ता के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया गया था; (घ) अभियुक्त ने जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से ऐसा किया था। [पैरा 50] [84-डी-ई] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. 1 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के कार्य उसके लाभ के लिए नहीं थे, बल्कि उसके भाई के लाभ के लिए थे।

कानून, अर्थात अभियुक्त सं. 3। अपीलार्थी के बहनोई थे,

प्रबंधक के पास तीन खुले चेक जारी करने और उन्हें पारित करने का एकमात्र अधिकार था। चूँकि खुले चेक जारी करने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध साबित नहीं हुआ है, इसलिए केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने उन खुले चेकों को जारी किया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने कार्रवाई की। गैरकानूनी रूप से या 'आपराधिक कदाचार' किया। अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक इस आधार पर टिका था कि विचाराधीन तीन चेक, अर्थात, पूर्व। पी25 से पी27 तक, खाते संख्या 282 में पर्याप्त धन नहीं होने के बावजूद पारित किए गए थे। के अवलोकन पर

खाता संख्या 282 (पूर्व पी23) के लिए चालू खाता बहीखाते से ऐसा प्रतीत होता है कि खाता संख्या 282 में विचाराधीन तीनों चेकों को पास करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी। जहां तक लेन-देन के इस हिस्से का संबंध है, बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके लिए

आई. पी. सी. की धारा 477-ए के तहत आरोप की पुष्टि करते हुए, अभियोजन पक्ष का प्राथमिक तर्क यह है कि तीन चेक पारित करने के बावजूद, अपीलार्थी ने इसमें प्रासंगिक प्रविष्टियां नहीं कीं।

खाता संख्या 282 का चालू खाता खाता बही (पूर्व पी23)। ऐसा कथित तौर पर निकासी को छिपाने के लिए किया गया था क्योंकि अकादमी के खाते में अपर्याप्त धन था। अभिव्यक्ति

' 477-ए की धारा के तहत दिए गए धोखाधड़ी के इरादे में दो तत्व हैं, छल और चोट। जहाँ तक दूसरा तत्व है

चालू खाता खाता बही में, वे बैंक द्वारा बनाए गए अन्य खाता बही में उल्लेख पाते हैं, अर्थात्, ऑफिसर्स कैश स्क्रॉल और कैशियर भुगतान रजिस्टर। पीडब्लू-6 ने आगे कहा है कि एक्स पी 25 से संबंधित प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है चालू खाता खाता बही। खाता-पूर्व पी23 से पता चलता है कि पी. डब्ल्यू.-6 के बयान में कुछ सच्चाई है। रुपये की राशि के लिए एक पेंसिल से एक प्रविष्टि की गई है। 2.5 लाख और संबंधित एन. राघवेंदर बनाम।

एक्स पी25 का चेक नंबर भी दर्ज किया गया है। दो अन्य प्रविष्टियों को एक्स डी 3 और एक्स डी 4 के रूप में चिह्नित किया गया है, जो रुपये की अन्य राशि से संबंधित हैं। 4 लाख और रु। 3.5 लाख भी जोड़े गए हैं, लेकिन यहां प्रासंगिक चेक संख्या दर्ज नहीं की गई है। जब इसे पीडब्लू-2 के निक्षेपण के आलोक में देखा जाता है, तो अन्य प्रासंगिक खाते का उत्पादन न करने की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रत्यक्ष और प्रासंगिक साक्ष्य है

रोके जाने पर, ऐसी विफलता के लिए संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। [पारस 38,55-59] [81-A-B; 85-G, H; 86-A, B-H; 87-A-E]

4.2 आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत आरोप साबित करने के लिए,

अभियोजन पक्ष को गबन के सटीक तरीके को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब 'प्रत्यर्पण' स्वीकार या साबित हो जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर होती है कि उसे सौंपी गई संपत्ति को उसके द्वारा स्वीकार्य तरीके से निपटाया गया था। इस प्रकार, इस बेईमान इरादे से गबन 'आपराधिक विश्वासघात' के प्रमाण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इस तथ्य पर एक गंभीर विवाद है कि ग्राहक ने समय से पहले निकासी की मांग की थी या नहीं और एफ. डी. आर. की आय का अकादमी के खाते में बाद में हस्तांतरण। हवा को साफ करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होता

ग्राहक स्वयं, लेकिन न तो वह पूछताछ/लेखा परीक्षा या जांच के दौरान जुड़ा हुआ था और न ही मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उसकी जांच की गई थी। इसके अलावा, ग्राहक द्वारा अपीलार्थी या बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके एफ. डी. आर. का दुरुपयोग करने या उन्हें कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की गई है। इसके विपरीत, अपीलार्थी ने ग्राहक द्वारा अपने एफ. डी. आर. को समय से पहले भुनाने और अकादमी के खाते में राशि जमा करने के लिए कथित रूप से लिखे गए दो पत्रों (एक्स. पी. 6 और एक्स. पी. 7) को रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया है। इन लिखित अनुरोधों को खारिज नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष ने निश्चित रूप से उन एफ. डी. आर. पर ग्राहक को उसके पूर्व-परिपक्व बंद होने के बाद भी ब्याज का भुगतान साबित किया है, लेकिन वह भुगतान अपीलार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते से किया गया था और कोई सार्वजनिक निधि नहीं थी।

इस तरह के भुगतान के लिए विनिवेश किया गया है। वास्तव में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। [पारस 62,64 और 65] [88-डी-ई; 89-डी-एफ; जी-एच; 90-सी-डी] [2021] 12 एस. सी. आर.

4.3 ग्राहक की गैर-जाँच अभियोजन पक्ष के मामले के लिए भौतिक रूप से घातक रही है। कुछ सिद्ध तथ्य, जैसे कि खाते से ब्याज राशि जमा करना।

ग्राहक के लिए अपीलकर्ता, एक मजबूत संदेह पैदा करता है

अपीलार्थी के खिलाफ, लेकिन संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। सबसे अच्छा और एकमात्र व्यक्ति जो इस बात पर प्रकाश डाल सकता था कि वह स्वेच्छा से अकादमी के खाते में अपनी एफ. डी. आर. राशि हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुआ था या नहीं या प्रलोभन, धोखाधड़ी या झूठे वादे का कोई तत्व था, वह ग्राहक था जिसने खुद गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं करने का विकल्प चुना था। हालाँकि अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और/या बैंक रिकॉर्ड के मनगढ़ंत होने का गहरा संदेह है, लेकिन इस तरह का संदेह उसे आपराधिक आरोपों का दोषी ठहराने के लिए निर्णायक सबूत से कम है। अभियोजन पक्ष द्वारा सबसे अच्छा साक्ष्य रोके जाने के बाद, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। बैंक के अभिलेखों को प्रस्तुत न करना भी तत्काल मामले में की गई जाँच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। [पारस 66,67 और 70] [90-एफ-जी; 91-ए-बी; 92-सी-डी]

4.4 अभिलेख से यह संकेत नहीं मिलता है कि कोई आर्थिक नुकसान हुआ है।

'बीएसआर'-ग्राहक या बैंक के किसी अन्य ग्राहक के कारण हुआ था। सामग्री के बीच किसी भी साजिश का खुलासा नहीं करता है

अभियुक्त व्यक्ति। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में जो मन की पूर्व बैठक को उजागर कर सकता है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने अभियुक्त संख्या 3 को अनुचित लाभ देने के लिए विचाराधीन लेनदेन की साजिश रची। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409,420 और 477 ए के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

दुराचार, जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी की सजा पर्याप्त रूप से सम्मानित किया गया। [पारस 71,72] [92-ई-जी; 93-ए-सी]

प्रभात और ओआरएस वी। महाराष्ट्र राज्य (2013) 10 एस. सी. सी. 391; महक चंद और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 4044; हरि साओ और अन्न बनाम। बिहार राज्य

(1969) 3 एससीसी 107: [1970] 2 एस. सी. आर. 823; मो.

इब्राहिम एन. राघवेंदर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सीबीआई

& ओआरएस वी। बिहार राज्य और अन्न (2009) 8 एस. सी. सी. 751: [2009] 13 एस. सी. आर. 1254; समसुल हक बनाम। असम राज्य

(2019) 18 एस. सी. सी. 161; एन. वी. सुब्बाराव बनाम। राज्य (2013) 2

एससीसी 162 [2012] 12 एससीआर 701; विनायक नारायण

देवस्थली बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 2

एससीसी 553: [2014] 12 एस. सी. आर. 308; नीरा यादव बनाम केंद्रीय

जांच ब्यूरो (2017) 8 एस. सी. सी. 757: [2017] 8

एस. सी. आर. 498 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 2 एससीआर 823

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[2009] 13 एससीआर 1254

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

2012] 12 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2014] 12 एससीआर 308

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

2017] 8 एससीआर 498

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2012] 6 एससीआर 1143

उस पर भरोसा करें

पै

रा 34

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2010 का सं. 5।

उच्च न्यायालय के 18.06.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश। ए. 2002 का No.337।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सोमिरन शर्मा, सुश्री शुभांगी जैन,

पंकज सिंघल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जयंत के. सूद, ए. एस. जी., सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रियंका

दास, अनमोल चंदन, सुश्री स्निधा मेहरा, अरविंद कुमार शर्मा, रणदीप सचदेवा, हरीश नड्डा, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. अपीलार्थी 18 जून, 2009 के फैसले से व्यथित है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. मामले, हैदराबाद के 28 मार्च, 2002 के फैसले और आदेश के खिलाफ उनकी आपराधिक अपील को खारिज करते हुए पारित किया गया, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420 और 477 ए (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) और धारा 13 (2) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था, जिसे [2021] 12 एस. सी. आर. की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, "पी. सी. अधिनियम") और प्रत्येक अपराध के लिए विभिन्न जुर्माने के साथ कुल पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त सं। 2 हालाँकि, अपीलार्थी के साथ जिन 3 लोगों पर भी मुकदमा चलाया गया, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

तथ्यः

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

अपीलार्थी-एन. राघवेंदर ने मई, 1990 से मई 1990 तक श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य किया।

खाता बही में दर्ज किया। उसके बाद, इस तरह का एक और लेनदेन 30.06.1994 पर रुपये की राशि में हुआ। 4,00,000 / - , और एक बार फिर, डेबिट को बैंक के खाता पत्र में दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने 30.07.1994 पर एक और चेक जारी किया। रुपये निकालने के लिए खाता। 3,50,000 / - . अपीलार्थी द्वारा जारी तीसरे चेक पर समर्थन ने अभियुक्त संख्या 3 के पक्ष में भुगतान दिखाया; हालाँकि, चेक पर हस्ताक्षर अभियुक्त संख्या 3 के साथ मेल नहीं खाते थे। अपीलार्थी पर आगे 24.02.1995 और 25.02.1995 पर दो एफ. डी. आर. को पूर्व-परिपक्व रूप से बंद करने का आरोप लगाया गया था, जो रु. 10,00,000 / - और 4,00,000/- क्रमशः, और एक बी. सत्यजीत रेड्डी के नाम पर खड़ा था। बैंक द्वारा जारी किए गए वाउचर के अनुसार, कुल

से रु. 14,00,000 / - खाता संख्या 282 में जमा किया गया था लेकिन केवल रु।

वर्ष 1994 में। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी, अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3, ने इन्हें तैयार करने के लिए मिलकर काम किया। लेन-देन, जिसके परिणामस्वरूप बैंक और उसके जमाकर्ताओं को गलत नुकसान हुआ।

4. आखिरकार, लेखा परीक्षक (पीडब्लू-2) ने अनियमितताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी को उपर्युक्त शाखा से स्थानांतरित कर दिया गया।

मुख्य कार्यालय, और एक आंतरिक जांच का आदेश दिया गया था। उक्त जांच ने बैंक (पीडब्लू-1) के अध्यक्ष को हैदराबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में, "सीबीआई") को दिनांक 27.11.1995 (पूर्व पी1) पर एक लिखित शिकायत करने के लिए प्रेरित किया, जिसके प्रासंगिक उद्धरण अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

" हमारा ग्रामीण बैंक फरवरी 1985 में स्थापित किया गया है।

संसद का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, और प्रायोजित

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। बैंक एक अनुसूचित बैंक है।

और इसके संचालन का क्षेत्र जिले तक सीमित है

निजामाबाद शहर में मुख्यालय के साथ निजामाबाद। जिले में अभी तक 26 शाखाएँ कार्यरत हैं। निजामाबाद की शाखा 26 शाखाओं में से एक है।

2. 1990 से 1995 की अवधि के दौरान शाखा का नेतृत्व किया गया था।

श्री एन. राघवेंदर द्वारा शाखा प्रबंधक के रूप में।

3. शाखा के लेखापरीक्षा के दौरान कुछ गंभीर रूप से अनियमित प्रकृति के लेनदेन, द्वारा किए गए

मिलीभगत और सहयोग के साथ शाखा प्रबंधक

कर्मचारियों और ग्राहकों के कुछ सदस्य आए हैं

सतह। कुछ लेन-देन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

गंभीर थे और शाखा प्रबंधक द्वारा लगाए गए थे,

इस तरह के लेन-देन के संचालन के लिए निर्धारित निर्देशों और मानदंडों को दरकिनार करते हुए, अनुचित धन देने के इरादे से

कुछ ग्राहकों को लाभ जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। उपरोक्त प्रकृति के लेन-देन बड़ी संख्या में हैं। हालाँकि, आपके जाँच पर विचार करने के लिए इस तरह के एक लेन-देन का विवरण नीचे दिया गया है।

अनअथॉराइज्ड एन्कासमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट नं.

0257120 और आर. एस. के लिए 0257121। 10.00 एल. ए. सी. एस. और RS.400

एल. ए. सी. एस. सम्मानपूर्वक।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के लेन-देन के लिए निर्धारित प्रक्रिया

कि यदि और जब जमाकर्ता समय से पहले निकासी चाहता है तो उसे शाखा को प्रस्तुत करना चाहिए, समय से पहले के लिए लिखित अनुरोध के साथ प्रश्नगत सावधि जमा का विधिवत निर्वहन करना चाहिए।

जमाओं की निकासी। इसके बाद, शाखा प्रबंधक, जमाकर्ता के हस्ताक्षर और जमा प्राप्तियों की वास्तविकता को विधिवत सत्यापित करने के बाद समय से पहले भुगतान की अनुमति दे सकता है। सावधि जमा के संबंध में जहां समय-समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, उस पर काम किया जाएगा और ऐसी जमाओं पर देय ब्याज और देय ब्याज की शुद्ध राशि से समायोजित किया जाएगा और जमाकर्ता को सिद्धांत जारी किया जाएगा। आयकर नियमों के अनुसार <lD1,000/- से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान या तो शाखा में जमाकर्ता के खाते में जमा करके या जमाकर्ता "पार खाता प्राप्तकर्ता" के नाम पर बैंकर के चेक के माध्यम से किया जाना है।

XXX

XXX

XXX

जमा का अनधिकृत भुगतान 12.9.1995 पर तब सामने आया जब जमाकर्ता ने ब्याज निकालने के लिए शाखा को बुलाया। अभिलेखों की जांच से यह पाया गया है कि भले ही जमा राशि फरवरी 1995 में समाप्त कर दी गई हो, लेकिन जमाकर्ता के बचत बैंक ए/सी <आई. डी. 2 में नकद जमा करके और शाखा प्रबंधक और एस. बी. ए/सी No.5555 वाली उसकी पत्नी के संयुक्त खाते से हस्तांतरण करके आवधिक ब्याज जमा किया जाता रहा, जाहिरा तौर पर जमाकर्ता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि जमा राशि बरकरार है।

इन लेन-देनों का पता चलने के बाद श्री

राघवेंद्र, जिन्हें शाखा प्रभार से मुक्त कर दिया गया था, जमाकर्ता के साथ प्रबंधित और लेन-देन को नियमित करने के स्पष्ट इरादे के साथ पूर्वनिर्धारित पत्र और सापेक्ष जमा रसीदें प्रस्तुत की। सापेक्षिक सावधि जमा रसीदें साफ-सुथरी होती हैं और उनके चेहरे पर कोई विज्ञापन या मुहर नहीं होती है।

रसीदें। इस तरह भले ही बैंक को इस लेन-देन के तहत कोई मामूली नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन शाखा प्रबंधक ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और 5 लाख रुपये का लाभ दिया। अपने निकट रिश्तेदारों का पर्याप्त हित रखने वाली फर्मों को 14.00 लाख देना एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसके लिए आग्रह किया जाता है।

जांच पड़ताल की।

एन. राघवेंदर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सी. बी. आई. [सूर्या कांत, जे.]

शाखा में लेन-देन की आगे की जांच

प्रगति पर है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे का संकेत देगा उस समय तक किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन यदि कोई हों

शाखा प्रबंधक श्री एन. राघवेंद्र।

शाखा प्रबंधक का स्थानीय क्षेत्रों में काफी प्रभाव होता है।

नेता, अधिकारी और अन्य वी. आई. पी.। विभागीय जांच

बैंक द्वारा सुरक्षा में बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है

इसकी समग्रता में बैंक के हितों की जांच के बाद से

विभिन्न बाहरी पक्षों से संपर्क करने के लिए लेन-देन वारंट जिनका बैंक तक पहुँच संभव नहीं है।

XXX '

XXX

XXX

5. सी. बी. आई. ने मामला नं. आर. सी. 7 (ए)/96-सी. बी. आई./हैदराबाद

आई. पी. सी. की धारा 409,477 (ए) और 120 बी और 13 (1) (सी) के साथ पठित धारा 13 (2)

पी. सी. अधिनियम। जाँच की गई; आरोप पत्र दाखिल किया गया और

विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने उनके खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किएः

अपीलार्थी और उसका सह-अभियुक्तः

" शुल्क संख्या 1:

कि आप सभी, अर्थात ए. 1 से ए. 3 तक के वर्षों 1994-95 के दौरान,

जबकि ए. 1 और ए. 2 मेसर्स के रोजगार में थे। श्री राम

ग्रामीण बैंक, निजामाबाद और ए 3 को खजांची के रूप में, निशिता

शैक्षिक अकादमी, करने के लिए सहमत हुई या करने के लिए प्रेरित की गई

श्री राम ग्रामीण बैंक को धोखा देने का अवैध कार्य, राशि की निकासी की अनुमति देने के मामले में निजामाबाद

रु. तक। निशिता के वर्तमान ए/सी No.282 में 10.00 लाख

शैक्षिक अकादमी, निजामाबाद बिना पर्याप्त के

निधि, समझौते के अनुसरण में और इस प्रकार प्रतिबद्ध

यू/सेक दंडनीय अपराध। 120 - बी. आई. पी. सी. और मेरे भीतर संज्ञान।

शुल्क संख्या 2:

कि आप सभी यानी, ए. 1 से ए. 3 जैसा कि ऊपर बताया गया है, द्वारा धोखा दिया गया है

बेईमानी से और धोखाधड़ी से उक्त बैंक को वितरित करने के लिए प्रेरित करना

आपको Rs.10 लाख और जो उक्त व्यक्ति की संपत्ति थी

बैंक और यह कि आपने दंडनीय अपराध किया है

यू/Sec.420 आई. पी. सी. और मेरे संज्ञान में।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क संख्या 3:

कि आप सभी जैसा कि ऊपर कहा गया है (शुल्क संख्या 1) और इसमें शामिल हैं

ऐसी क्षमता जो कुछ निश्चित संपत्ति को सौंपी गई है

उस संपत्ति के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, और इस प्रकार

आपने यू/सेक दंडनीय अपराध किया है। 409 आई. पी. सी. और

मेरे ज्ञान के भीतर।

शुल्क संख्या 4:

कि आप सभी ने लेनदेन के एक ही क्रम के दौरान, जैसा कि प्रभारी संख्या 1 में कहा गया है, जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से, कुछ कागजात, लेखन और खातों को गढ़ा है।

श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद और निशिता शैक्षिक अकादमी, और आपने इस तरह एक अपराध किया

दंडनीय यू/Sec.477-ए आई. पी. सी. और मेरे संज्ञान में।

शुल्क संख्या 5:

कि आप में से ए. 1 और ए. 2 लोक सेवक होने के नाते इस रूप में कार्यरत हैं

पूर्व प्रबंधक, श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद

(ए. 1) और पूर्व में क्लर्क-सह-कैशियर, श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद (ए. 2) क्रमशः वर्ष के दौरान 1994-95 भ्रष्ट या अवैध माध्यमों से या अन्यथा के लिए प्राप्त किया गया

आप स्वयं श्री राम से Rs.10 लाख का आर्थिक लाभ प्राप्त करें।

ग्रामीण बैंक, निजामाबाद और इस तरह एक प्रतिबद्ध

पी. सी. के यू/Sec.13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (सी) और (डी) के तहत दंडनीय अपराध।

अधिनियम, 1988 और मेरे संज्ञान में।

6. बाद के मुकदमे में, अभियोजन और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा कुल ग्यारह गवाहों, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-11 की जांच की गई।

पी-1 से पी-68 तक की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अभियुक्तों की ओर से आपराधिक संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई

प्रक्रिया (संक्षेप में, 'Cr.P.C'), लेकिन कोई अन्य बचाव गवाह सामने नहीं लाया गया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य डी-1 से डी-6 प्रदर्शित किए।

7. वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए,

अभियोजन पक्ष का मामला बहुत हद तक परिस्थिति पर निर्भर था और

दस्तावेजी साक्ष्य। बैंक के अध्यक्ष भास्कर रेड्डी (पीडब्लू-1) ने कहा कि नवंबर, 1994 में बादाम स्वामी (पीडब्लू-2) ने निजामाबाद शाखा का ऑडिट किया और शाखा प्रबंधक एन. राघवेंदर द्वारा कुछ अनियमितताएं पाई गईं।

इसके बाद, उन्होंने एक विस्तृत ऑडिट का आदेश दिया। लेखापरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-1 ने अपीलार्थी से मुलाकात की और उनसे उक्त अनियमितताओं के बारे में पूछताछ की। पीडब्लू-1 ने आगे कहा कि जब उन्होंने अपीलार्थी से पूछा कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए दो एफ. डी. आर. को समय से पहले बंद करने की अनुमति कैसे दी, तो अपीलार्थी ने दो पत्र (एक्स पी 6 और एक्स पी 7 के रूप में चिह्नित) प्रस्तुत किए, जो कथित रूप से बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा बैंक प्रबंधक को लिखे गए थे। उपरोक्त पत्रों के माध्यम से, बी. सत्यजीत रेड्डी ने बैंक प्रबंधक से राशि को निशिता शैक्षिक अकादमी के खाते में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ एफ. डी. आर. की समय से पहले निकासी को अधिकृत किया था। पीडब्लू-1 ने कहा कि समय से पहले के लिए मानक प्रक्रिया

एफ. डी. आर. को बंद करने के लिए एफ. डी. आर. धारक/जमाकर्ता को समयपूर्व भुगतान की मांग करने वाले लिखित अनुरोध के साथ एफ. डी. आर. की रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

खाता। इस तरह के अनुरोध को लिखित रूप में शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाना है जब वह उचित बनाने के लिए एक खुला पत्ता जारी कर सकता है। चेक प्रपत्र पर और आवेदन पर ही अनुमोदन "। पीडब्लू-1 ने यह भी स्पष्ट किया कि, "ऋण ए/सी की चेक बुक का पुनः उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि वे छूट के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में हैं, बशर्ते कि वे चेक बुक जारी करने वाले रजिस्टर में दर्ज हों।" अंत में, पीडब्लू-1 ने स्वीकार किया कि जिस अवधि के दौरान अपीलकर्ता शाखा प्रबंधक था, उस अवधि के दौरान बैंक का व्यवसाय बढ़ा था और बैंक को स्केल-I से स्केल-II में पुनः वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष 1995 में निजामाबाद शाखा का एक विशेष लेखापरीक्षा किया गया था। पीडब्लू-2 ने अपने बयान में समझाया कि उन्होंने दो समूहों की जांच की लेनदेन, पहला बी. सत्यजीत रेड्डी के नाम पर दो एफ. डी. आर. को समय से पहले बंद करना और दूसरा रुपये की निकासी से संबंधित लेनदेन। 10 खाता संख्या 282 से एक लाख।

लेन-देन के पहले समूह का संबंध है, पीडब्लू-2 ने बयान दिया कि बी. सत्यजीत रेड्डी ने 4 लाख (एक्स पी 4) और रु। 10 क्रमशः लाख (एक्स पी 5), और इनके अलावा, श्री रेड्डी ने भी खोला था

एस. बी. खाता संख्या 5520 (पूर्व पी11 के रूप में चिह्नित)। एफ. डी. आर., एक्स. पी4 और एक्स। पी5 को जनवरी, 1995 में 12 महीने की अवधि के लिए खरीदा गया था। पीडब्लू-2 उन्होंने बताया कि वर्तमान लेन-देन में शाखा को पक्ष/जमाकर्ता के निर्देशों के अनुसार एस. बी. खाता संख्या 5520 में मासिक ब्याज जमा करना था। पीडब्लू-2 ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने पक्ष की जानकारी के बिना और बिना किसी प्राधिकरण के एफ. डी. आर. वापस ले लिया

दो डेबिट वाउचर (एक्स पी 29 और एक्स पी 30 चिह्नित) जुटाकर बैंक से राशि। ये वाउचर अभियुक्त संख्या 2 द्वारा तैयार किए गए थे और अपीलार्थी द्वारा पारित किए गए थे। इसके बाद निकाली गई राशि को तीसरे पक्ष के खाते में जमा किया गया, यानी खाता संख्या। 282 निशिता शैक्षिक अकादमी। पीडब्लू-2 ने आरोप लगाया कि अभिलेखों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि या तो श्री रेड्डी ने एफ. डी. आर. को आत्मसमर्पण कर दिया था या उन्होंने एफ. डी. आर. के भुगतान के लिए कोई आवेदन दिया था। पीडब्लू-2 ने आगे कहा कि एफ. डी. आर. वापस लेने के बाद भी मासिक ब्याज रु. 11,570 / - श्री रेड्डी को देय राशि उनके एस. बी. में जमा होती रही।

खाता संख्या 5520। यह आरोप लगाया गया था कि रुपये हस्तांतरित करने के लिए। 11,570 / - , एस. बी. खाता संख्या 5555 वाले डेबिट वाउचर बनाए गए थे। उक्त एस. बी. खाता संख्या 5555 अपीलार्थी और उसकी पत्नी के नाम पर था। 9. लेन-देन के दूसरे समूह के संबंध में, पीडब्लू-2 ने वर्ष 1994 में रु। 10,00,000 / - तीन चेक (पूर्व पी25, पूर्व पी26 और पूर्व पी27) पारित करके खाता संख्या 282 से 'धोखाधड़ी से' वापस ले लिया गया था, जिन पर अभियुक्त संख्या 3 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, तीनों चेकों पर न तो हस्ताक्षर अभियुक्त संख्या 3 के हस्ताक्षर से मेल खाते हैं।

न ही ये लेन-देन संबंधित खाता पत्रक (Ex P23) में परिलक्षित हुए थे। पीडब्लू-2 ने आरोप लगाया कि इन लेन-देनों को दबाने के लिए खाता पत्र-एक्स पी23 को जानबूझकर गलत तरीके से रखा गया था। पीडब्लू-2 ने आगे आरोप लगाया कि जबकि खाता संख्या में शेष राशि थी। 282 जब एक्स पी 25 प्रस्तुत किया गया था, जब अन्य दो चेक पारित किए गए थे, तब अपर्याप्त धन था।

इस प्रकार, पीडब्लू-2 के अनुसार, अपीलार्थी ने रुपये निकालने की अनुमति दी थी। 10,00,000 / - खाता संख्या 282 से, भले ही उक्त खाते में अपर्याप्त धनराशि थी। यह भी बताया गया कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त रुपये की ओवरड्रॉइंग की भी अनुमति दी थी। 4 खाता संख्या 282 से लाख। पीडब्लू-2 ने आरोप लगाया कि इन निकासी को छिपाने और राशियों को समायोजित करने के लिए, अपीलार्थी ने रुपये की राशि वापस ले ली। 14 लाख। बी. सत्यजीत रेड्डी के एफ. डी. आर. से संबंधित।

10. अपनी जिरह के दौरान, पीडब्लू-2 ने अपदस्थ किया कि उन्होंने बी. सत्यजीत रेड्डी से समय से पहले बंद करने के बारे में व्यक्तिगत रूप से कभी पूछताछ नहीं की थी इसके बजाय, उन्होंने अपने एफ. डी. आर. में दावा किया कि पी. डब्ल्यू.-1 ने श्री रेड्डी से बात की थी। पीडब्लू-2 ने आगे स्वीकार किया कि यह जानने के बावजूद कि हस्ताक्षर पर

तीन चेक अभियुक्त संख्या 3 से मेल नहीं खाते थे, उन्होंने कभी भी अभियुक्त संख्या 3 से सीधे लेनदेन के बारे में पूछताछ नहीं की। पीडब्लू-2 शेड लाइट चालू करें

तथ्य यह है कि खाता खाता पत्रक (पूर्व पी23) के अलावा, बैंक ने तीन अन्य खाता-बही, अर्थात् अधिकारी नकद विवरण-पत्र, पारगमन वाउचर रजिस्टर और कैशियर भुगतान रजिस्टर भी बनाए रखा। पीडब्लू-2 पदच्युत

कि उन्होंने इन तीन खाते की जांच की थी, लेकिन इन्हें न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया था। हालाँकि, पीडब्लू-2 ने स्वीकार किया कि विचाराधीन तीन चेक

ऑफिसर्स कैश स्क्रॉल में प्रतिबिंबित थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि 23.04.1994 से 21.07.1994 तक की अवधि के लिए बनाए गए बैंक भुगतान रजिस्टर में चेक Ex P25 और Ex P26 से संबंधित प्रविष्टियों का विधिवत उल्लेख किया गया था।

11. बैंक के प्रबंधक श्री डी. राम मोहन राव पीडब्लू-3 के रूप में उपस्थित हुए। जबकि उन्होंने मुख्य रूप से बैंक में विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं के बारे में गवाही दी, यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने भी एक ग्राहक के अनुरोध पर खुले चेक जारी करने की असामान्य लेकिन स्वीकार्य प्रथा के बारे में गवाही दी। उन्होंने आगे कहा कि "कभी-कभी महत्वपूर्ण ग्राहक प्रबंधक के केबिन में बैठते हैं और उनके चेक को नकदीकरण के लिए काउंटर पर भेजा जाता है, और कभी-कभी प्रबंधक केबिन में ग्राहक को नकद दिया जाता है।"

12. बी. चंद्रशेखर (पीडब्लू-4), कैशियर ने बयान दिया कि आरोपी नंबर 3 बैंक का एक महत्वपूर्ण ग्राहक था। उन्होंने कहा कि तीनों विचाराधीन चेक अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए और सौंपे गए

अभियुक्त संख्या 3 को भेज दिया गया और फिर अपीलार्थी ने उन चेकों को पारित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि चेक से संबंधित राशि, एक्स पी 25 से पी 27 को उनके द्वारा अपीलार्थी को सौंप दी गई थी, और फिर अपीलार्थी ने इसे अभियुक्त संख्या 3 को सौंप दिया। उन्होंने भी पदच्युत किया कि पूर्व पी26 और पूर्व पी27 से संबंधित प्रविष्टियां संबंधित खाता-पत्र में नहीं पाई गईं-पूर्व पी23। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा, "यह सच है कि एक्स पी25 में पीछे की ओर एन. ललिता के हस्ताक्षर हैं। के हस्ताक्षर

राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उक्त राशि की प्राप्ति के टोकन में चेक के पीछे प्राप्त किया जाएगा। एक्स पी-26 के पीछे की ओर ए 1 का हस्ताक्षर नहीं है। यह भी सच है कि Ex के पीछे A1 का हस्ताक्षर भी नहीं है। पी27 "।

13. पी. डब्ल्यू.-5, मल्लिकार्जुन साने के साक्ष्य का कोई परिणाम नहीं है।

क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से मामले से संबंधित किसी भी तथ्य से अवगत नहीं था। इसके बाद बी. गणगरम (पीडब्लू-6) का बयान आता है, जो निजामाबाद शाखा में लेखाकार के रूप में काम करते थे। उन्होंने गवाही दी कि बैंक द्वारा खुले चेक जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनका रिकॉर्ड रखा गया हो। उन्होंने आगे कहा, "यह सच है कि ए/सी नंबर 282 में रुपये की चेक राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि थी। 2.50 लाख। रुपये का बकाया था। 4,78,480 / - 282 के ए/सी में शेष राशि 30.06.1994 पर थी और मैंने उसी दिन उक्त शेष राशि को प्रमाणित किया है। यह सच है कि रुपये के चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि थी। 4 30.06.1994 पर लाख। 28.07.1994 पर उक्त ए/सी नंबर 282 में उपलब्ध शेष राशि रु। 12,12,830 / - . यह सच है कि रुपये की राशि को डेबिट करने वाली लाइनों के बीच पेंसिल के साथ एक प्रविष्टि की गई थी। 3.50 लाख से ए/सी संख्या 282 तक। उक्त प्रविष्टि को अब Ex D3 "(sic) के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने अंत में कहा, "काम की भीड़ के कारण खाते की प्रविष्टि में कुछ प्रविष्टियों के गायब होने की संभावना है। लेकिन राशि को संतुलित करते समय उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। Ex P8 देखें, यह बैलेंसिंग रजिस्टर है। इसका रखरखाव ए 2 द्वारा किया गया था।

14. निजामाबाद शाखा के द्वितीय अधिकारी जे. मधुसूदन (पीडब्लू-7) ने अपदस्थ कर दिया कि बी. सत्यजीत रेड्डी ने पहले मामले में उनसे संपर्क किया था।

सितंबर 1995 के सप्ताह में दो एफ. डी. आर. में अर्जित ब्याज को उनके एस. बी. ए./सी. 5520 में जमा करने के अनुरोध के साथ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एफ. डी. आर. रजिस्टर का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि दोनों एफ. डी. आर. समय से पहले हो गए थे। बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बात को तत्कालीन प्रबंधक श्री जी. नागेश रेड्डी के ध्यान में लाया। उन्होंने गवाही दी कि अपीलार्थी ने उन समापनों से संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किए थे जैसा कि सावधि जमा रजिस्टर (पूर्व पी9) से स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा एफ. डी. आर. को बंद करने या उक्त राशि को खाता संख्या में स्थानांतरित करने के लिए लिखा गया कोई पत्र नहीं देखा है। 282. हालाँकि, वह इस बात की गवाही नहीं दे सके कि किसके कहने पर दो एफ. डी. आर. समय से पहले बंद कर दिए गए थे। जी. नागेश रेड्डी (पीडब्लू-8) को अपीलार्थी के स्थानांतरित किए जाने के बाद शाखा प्रबंधक नियुक्त किया गया था।

मामला "। बी. सत्यनारायण, पीडब्लू-9, एक औपचारिक गवाह थे जिन्होंने स्वीकार किया अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 2 के अभियोजन के लिए मंजूरी।

15. अमर सिंह (पीडब्लू-10), हस्ताक्षर विशेषज्ञ थे जिन्होंने वर्तमान मामले में विभिन्न चेक, वाउचर और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की। पीडब्लू-10 के अनुसार, प्रश्न किए गए हस्ताक्षर स्वतंत्र रूप से सामान्य हाथ में लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व पी27 पर हस्ताक्षरों में से एक हस्ताक्षर अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर से मेल खाता है, लेकिन तीन चेकों पर अभियुक्त संख्या 3 के कथित हस्ताक्षर उनके नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दो पत्रों (एक्स पी 6 और एक्स पी 7) पर विवादित हस्ताक्षर बी. सत्यजीत रेड्डी के नमूना हस्ताक्षर से मेल खा रहे थे। एस. वदयनाथन (पीडब्लू-11), वर्तमान मामले में जाँच अधिकारी हैं। पीडब्लू-11 ने बैंक और निशिता शैक्षिक अकादमी से विभिन्न दस्तावेज एकत्र किए। उन्होंने अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए पीडब्लू-9 से मंजूरी आदेश भी एकत्र किया।

और अभियुक्त सं. 2। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि पीडब्लू-11 ने कहा कि अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष नहीं लिए गए थे, हालांकि यह स्वतंत्र गवाहों के समक्ष प्राप्त किया गया था। 16. अपीलार्थी ने धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया। जब सामना करना पड़ता है

पीडब्लू-1 द्वारा दो एफ. डी. आर. को अनधिकृत रूप से समय से पहले बंद करने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर, अपीलकर्ता ने कहा कि उसने ऐसा किया था, "लिखित अनुरोध के साथ, जमाकर्ता का केवल समय से पहले भुगतान किया गया था।

अनुमति दी गई। जैसा कि जमाकर्ता ने अनुरोध किया कि उसने एफ. डी. आर. खो दिए हैं और उनका पता नहीं लगा सका है। चूंकि वह वी. आई. पी. का ग्राहक है, इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया। अपीलार्थी (अभियुक्त संख्या 1) ने इस आरोप का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि बी. सत्यजीत रेड्डी की सहमति या जानकारी के बिना समय से पहले निकासी की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बी. सत्यजीत रेड्डी के अनुरोध पर रु। 4 अकादमी के खाते में, यानी खाता संख्या 282 में लाखों रुपये हस्तांतरित किए गए। जब वापस लेने के बारे में पूछा गया

रु. 10,00,000 / - वर्ष 1994 में खाता संख्या 282 से, उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्करण पर विवाद किया, और कहा, "चूंकि शेष राशि थी, इसलिए मैंने चेक पारित किया और ए 3 को राशि का भुगतान किया।" अंत में, अपीलार्थी ने दावा किया कि दो बैंक संघों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।

सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया। पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) के साथ पठित धारा 13 (2)। अभियुक्त नं. 2 और अभियुक्त नं. 3 को अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

ठीक है। हालाँकि, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 420,409 और 477 ए के साथ-साथ धारा 13 (2) रीड [2021] 12 एस. सी. आर. के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया था।

पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ। पैराग्राफ को पुनः पेश करना उपयोगी है।

50 विशेष न्यायाधीश के निर्णय का जो इस प्रकार हैः

" 50. ए. 3 के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। यद्यपि ए. 3 राशि को निशिता शैक्षिक अकादमी के ए. सी. संख्या 282 के बजाय निशिता बिल्डर्स के ए. सी. संख्या 342 में जमा किया गया है, लेकिन इसका कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ए. 3 को लाभ नहीं हुआ है। यह ए. 1 है जिसने अपने खाते में ब्याज जमा किया है, हालांकि F.D.Rs को समय से पहले ही सत्यजीत रेड्डी के उचित अधिकार के बिना भुनाया गया था। जैसा कि पहले शुरू किया गया था।

सत्यजीत रेड्डी ने ए. 1 के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिया है क्योंकि उन्हें ए. 1 द्वारा F.D.Rs के समय से पहले भुगतान के बारे में जानकारी नहीं थी। ए. 3 का यह कहने के लिए कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं है कि उसने ए. 1 के साथ बैंक को धोखा देने की साजिश रची या बैंक को गलत नुकसान पहुंचाया और इसी तरह खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया। ए. 3 ने अपने कर्तव्यों के सामान्य क्रम में कार्य किया है। ए. 3 को किसी भी इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह भी नहीं पता चलता है कि ए. 3 ने कोई विशिष्ट अपराध किया है।

(sic)

18. जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अपना मामला पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है। कुछ पर ध्यान देने के बावजूद

फरवरी 1995 में बिना किसी अधिकार के या एफ. डी. आर. धारक को जानकारी दिए बिना दो एफ. डी. आर. की समय से पहले वापसी है। 19. बी. सत्यजीत रेड्डी के नाम पर दो एफ. डी. आर. के समय से पहले भुनाने के संबंध में, निचली अदालत अपीलार्थी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू-1 को दिए गए दो पत्रों (एक्स पी 6 और एक्स पी 7) पर विश्वास नहीं किया गया था और इसके बजाय, न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि दो एफ. डी. आर. को समय से पहले बंद करने के बावजूद, अपीलार्थी ने बी. सत्यजीत रेड्डी के खाते में मासिक ब्याज जमा करना जारी रखा। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि बाद में ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि राशि को खाते संख्या 5555 से हस्तांतरित किया गया था, जो अपीलार्थी और उसकी पत्नी के नाम पर था। चूंकि बी. सत्यजीत रेड्डी को किए गए इन ब्याज भुगतानों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, इसलिए न्यायालय ने एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला और प्रस्ताव दिया कि हितों का श्रेय एन. राघवेंदर बनाम को दिया गया था।

यह भ्रम पैदा करें कि एफ. डी. आर. अभी भी जीवित थे। इसलिए, न्यायालय ने संक्षेप में निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने बिना किसी प्राधिकरण या सहमति के दो एफ. डी. आर. को भुनाया था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया, और परिणामस्वरूप

उसे दोषी ठहराया गया और विभिन्न जुर्माने के साथ पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

20. अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। बहुत पसंद है। विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय ने रुपये की निकासी के संबंध में अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों या बचाव को कोई महत्व नहीं दिया। 10 खाता संख्या 282 से लाख। अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि बी. सत्यजीत रेड्डी को नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी सहमति और जानकारी के बिना, दोनों एफ. डी. आर. में उनकी जमा राशि को दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह देखते हुए कि बी. सत्यजीत रेड्डी एफ. डी. आर. की पूर्व-परिपक्व वापसी के बारे में गवाही देने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे, अदालत ने राय दी कि मामले की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, बी. सत्यजीत रेड्डी की गैर-जांच से अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।

मामला। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने दो एफ. डी. आर. एस. को समय से पहले भुनाने के लिए बैंक प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। और उसके बाद अकादमी के खाते में राशि हस्तांतरित करें। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपने बहनोई, अर्थात् अभियुक्त संख्या 3 को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए, अपीलार्थी ने जानबूझकर वर्ष 1994 में अपने द्वारा पारित तीन चेकों से संबंधित अभिलेखों को गलत साबित किया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

21. व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष है। तर्कः

22. अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला इस पर आधारित है -

अनुमान और अनुमान, और सबसे अच्छे तटस्थ साक्ष्य को बिना किसी स्पष्टीकरण के रोक दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने बी. सत्यजीत रेड्डी के दो एफ. डी. आर. को पूर्व-परिपक्व रूप से अनधिकृत रूप से बंद कर दिया था और रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी थी। 10,00,000 / - और 4,00,000/- क्रमशः उनके बहनोई के खाते में, यानी खाता संख्या 282 जो अकादमी के नाम पर था।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि न तो बी. सत्यजीत रेड्डी से सीबीआई ने गवाह के रूप में पूछताछ की थी और न ही आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि 22.02.1995 (Ex P6) और 24.02.1995 (Ex P7) दिनांकित दो पत्रों पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, जिसके तहत बी. सत्यजीत रेड्डी ने अपीलार्थी को पूर्व परिपक्वता से FDR वापस लेने के लिए अधिकृत किया और उनसे उक्त राशि को निशिता शैक्षिक अकादमी के खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस बात की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि क्या अपीलार्थी के पास एफ. डी. आर. की पूर्व-परिपक्व वापसी के लिए प्राधिकरण था या नहीं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हस्ताक्षर विशेषज्ञ (पीडब्लू-10) के साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, ताकि बी. सत्यजीत रेड्डी के हस्ताक्षर के साथ मेल खाने वाले 22.02.1995 और 24.02.1995 दिनांकित पत्रों पर उस हस्ताक्षर को उजागर किया जा सके। इस प्रकार, प्रभात में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा करके

& ओआरएस वी। महाराष्ट्र राज्य 'और महक चंद और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश 2 में यह तर्क दिया गया कि बी. सत्यजीत रेड्डी की गैर-जाँच अभियोजन के मामले के लिए घातक थी। यह उत्साहपूर्वक आग्रह किया गया कि इस संबंध में धारा 313 Cr.P.C के तहत दिए गए अपीलार्थी के बयान की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

23. श्री सिद्धार्थ लूथरा ने तब उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 23 की ओर इशारा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि बैंक के कथित दुराचार के परिणामस्वरूप बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपीलार्थी। उन्होंने बैंक के अध्यक्ष (पीडब्लू-1) और शाखा प्रबंधक (पीडब्लू-8) के बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने स्वीकार किया है कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था और बी. सत्यजीत रेड्डी से अपीलार्थी के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हरि साओ और अन्न बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भी जोर दिया। बिहार राज्य 3 और मोहम्मद। इब्राहिम और ओरस बनाम। बिहार और अनरा राज्य, यह आग्रह करने में सहायता करते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी के खिलाफ कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है।

24. एक अन्य दोषपूर्ण परिस्थिति, अर्थात्, के खाते में दो विवादित एफ. डी. आर. पर उपार्जित ब्याज की जमा राशि को ध्यान में रखते हुए बी. सत्यजीत रेड्डी ने अपीलार्थी और उसकी पत्नी के व्यक्तिगत खाते से एफ. डी. आर. को बंद करने के बाद भी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह आरोप पहली बार पीडब्लू 2 के बयान में उठाया गया था, और अपीलार्थी के खिलाफ आम तौर पर या उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनाया गया था।

1 (2013) 10 एस. सी. सी. 391,111 2 2 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 4044,63 से 65 3 3 (1969) 3 एस. सी. सी. 107

4 (2009) 8 एस. सी. सी. 751 एन. राघवेन्द्र बनाम

विशेष रूप से उसके संबंध में। इस संबंध में, उन्होंने याचिका दायर की कि क्रेडिट वाउचर पी-37 से पी-42 को प्रदर्शित करते हैं और खाता पत्र पी-11 को अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया था, जबकि उसका बयान धारा के तहत दर्ज किया गया था।

313 Cr.P.C. सामसुल में इस न्यायालय के निर्णय से बल प्राप्त करना

हक वी। असम राज्य 3 में, यह तर्क दिया गया था कि यदि धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त की जाँच में परिस्थितियों को नहीं रखा जाता है, तो उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के पास उन्हें समझाने का कोई मौका नहीं था। वैकल्पिक रूप से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आरोप-पत्र अपीलार्थी पर आरोप लगाता है

उसके खाते से ब्याज को खाते संख्या में स्थानांतरित करना। 5520 बी. सत्यजीत रेड्डी के मामले में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां बी. सत्यजीत रेड्डी के खाते में ब्याज जमा करने के लिए बैंक धन का उपयोग किया गया था। अतः बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

25. लेन-देन के दूसरे समूह के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुकदमे का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है

अदालत या उच्च न्यायालय, अकादमी के खाता संख्या 282 में धन की अपर्याप्तता के संबंध में जब अपीलार्थी ने धन की निकासी की अनुमति दी

पी-25 की तारीख तक अकादमी का खाता पारित हो गया था, लेकिन दो अन्य लेनदेन (एक्सपी-26 और एक्सपी-27 के रूप में चिह्नित चेक) के समय अपर्याप्त शेष राशि थी। बल्कि, पीडब्लू-6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इसमें पर्याप्त धन उपलब्ध था। उन तारीखों पर पूर्व-वर्णित खाता जब राशि निकाली गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय में उपरोक्त विसंगति को विधिवत देखा गया है, फिर भी उच्च न्यायालय इस गलत आधार पर आगे बढ़ा कि खाते में धन की उपलब्धता साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 3 पर थी।

26. यह आगे दावा किया गया कि पुरुष अधिकार की पूर्ण अनुपस्थिति है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कोई लाभ नहीं लिया गया था, भले ही नकद सौंप दिया गया हो।

अभियुक्त नं. 3 , जिसे तब से बरी कर दिया गया है। कहा जाता है कि बी. चंद्रशेखर (पीडब्लू-4) के बयान का निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा गलत अर्थ निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि न केवल तीन चेकों-एक्स पी25 से पी27 को संबंधित राशि आरोपी संख्या 3 को सौंपी गई थी, बल्कि यह भी कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी थे।

तीन चेकों पर नहीं मिला। यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष भी उतने ही विरोधाभासी थे जितना कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के कार्य अभियुक्त संख्या 3 के लाभ के लिए थे, और फिर भी अभियुक्त संख्या 3 को बरी कर दिया गया था। 27. खुले चेकों के उपयोग और चालू खाता संख्या के खाते में प्रासंगिक प्रविष्टियों को दर्ज करने में कथित चूक के संबंध में। 282 , यह है

दावा किया कि यह अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 420,409 और 477 ए के तहत या पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि, सबसे खराब स्थिति में, यह घोर प्रशासनिक कदाचार का मामला था जिसके लिए अपीलार्थी को पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उसे पेंशन संबंधी लाभों से वंचित कर दिया गया है। उनके अनुसार, इस आरोप को इस तथ्य के आलोक में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों पर भी रिलायंस को यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि (i) ऑफिसर्स कैश स्क्रॉल; (ii) ट्रांजिट वाउचर रजिस्टर; और (iii) कैशियर भुगतान रजिस्टर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि उस रिकॉर्ड के उत्पादन से यह साबित होता कि हालांकि तीन चेकों से संबंधित कुल राशि खाता बही में नहीं दिखाई दी थी, फिर भी इसका उल्लेख अन्य खाते में मिलता है और इसका विधिवत हिसाब रखा गया था।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे आग्रह किया कि एक बार अपीलार्थी का

प्रदर्शनी पी-25, पी-26 और पी-27 पर हस्ताक्षर साबित नहीं हुए हैं, अपीलार्थी द्वारा खुले चेक के उपयोग का आधार ही है

ध्वस्त कर दिया। इस तथ्य को और मजबूत किया गया है क्योंकि अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर कभी भी न्यायिक अधिकारी के सामने नहीं लिए गए थे।

29. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि आई. पी. सी. की धारा 409 और 420 के तहत आरोप एक साथ नहीं जा सकते हैं। श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रचार किया कि अपीलकर्ता बैंक के दो गुटों के बीच प्रतिद्वंद्विता का शिकार है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शाखा प्रबंधक के रूप में अपीलार्थी के कार्यकाल के दौरान बैंक में समग्र जमा राशि में भारी वृद्धि हुई थी जो उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच आंखों की रोशनी का कारण बन गई थी।

30. अंत में और वैकल्पिक रूप से, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने इस न्यायालय को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया। अपीलार्थी के सफल प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कि उसने कुल जमा राशि को 40,00,000/- से बढ़ाकर 7,00,00,000/- कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप स्केल-II के रूप में बैंक की स्थिति में वृद्धि हुई है, इस तथ्य के साथ कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, यह प्रार्थना की गई कि यह सजा को कम करने के लिए एक उपयुक्त मामला है जो पहले से ही गुजर चुका है।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसलों का बचाव किया। उन्होंने हमें तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में सर्वविदित सीमाओं की याद दिलाई। शिक्षित ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि कोई नहीं है इस अपील में शामिल कानून का प्रश्न और जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, वे अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न हैं जिनके लिए न्यायालय

कि अपीलार्थी ने लाभ प्राप्त किया था या बैंक को कोई नुकसान पहुंचाया था। तथ्य यह है कि अपीलार्थी की कार्रवाई में किसी व्यक्ति के सार्वजनिक धन का अनधिकृत रूपांतरण शामिल था। उन्होंने कहा कि प्रतिभूतियों के अस्तित्व के बिना धन की निकासी के लिए बैंक रसीदें जारी करना किसी निजी व्यक्ति, अर्थात् अपीलार्थी के बहनोई (अभियुक्त संख्या 3) को अवैध लाभ के अलावा उचित नहीं हो सकता है। इस तरह की अवैधताओं का अभ्यास या आंतरिक के बहाने बचाव नहीं किया जा सकता है। बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

33. विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया कि अपीलार्थी शाखा का संरक्षक था और उसे उन कर्तव्यों की पूरी जिम्मेदारी लेनी थी जो वह निभाने में विफल रहा था। उनके अनुसार, यह दिखाने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर स्थानांतरित कर दी गई थी कि उसने सभी लेन-देनों का वास्तव में पालन किया था और सभी आवश्यकताओं या शर्तों का पालन किया गया था (देखें - एन. वी. सुब्बाराव बनाम राज्य)। उन्होंने समझाया कि जब न्यायालय अपीलार्थी की तरह अभियुक्त को दोषी ठहराने या दोषमुक्त करने के लिए तथ्यात्मक अनुमानों पर निर्भर करता है तो तथ्यों या कानून में कोई त्रुटि नहीं होती है।

34. पूरी निष्पक्षता से हम यह बता सकते हैं कि विद्वान ए. एस. जी. ने विनायक नारायण देवस्थली मामले में इस न्यायालय के दो और फैसलों पर भी भरोसा किया था।

वी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 'और नीरा यादव बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो।

विश्लेषणः

35. पक्षकारों के विद्वान वकील को काफी देर तक सुनने के बाद, हम पाते हैं कि वर्तमान में दो प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं

अपील करें। सबसे पहले, क्या निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्या आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 477-ए के साथ-साथ पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि टिकाऊ है? 36. हम शुरू में ही विद्वान ए. एस. जी. के इस तर्क से सैद्धांतिक रूप से सहमत हो सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश

तथ्य का प्रश्न या यहां तक कि तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न में भी संकीर्ण है। जब तक ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ न हों जहाँ इस न्यायालय को लगता है कि भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा गया है या गलत अर्थ लगाया गया है या पूरी तरह से अनदेखी की गई है जिसके परिणामस्वरूप एक विकृत निष्कर्ष निकला है, तब तक यह न्यायालय साक्ष्य की जांच या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बेहद अनिच्छुक होगा, विशेष रूप से तब जब नीचे दी गई अदालतों द्वारा लिया गया समवर्ती दृष्टिकोण, प्रशंसनीय या संभावित विचारों में से एक है।

37. हालाँकि, दोषसिद्धि के समकालिक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की सीमा पर ये स्व-विकसित सिद्धांत हमेशा चेतावनी और वैध अपवादों के अधीन होते हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत इस समझ में निहित है कि बरी करना बेहतर है।

420 , या 477-ए आई. पी. सी., और न ही उन्होंने विशिष्ट साक्ष्य को संदर्भित करने का कोई प्रयास किया है जो ऐसे तत्वों को संतुष्ट कर सकता है। कोई लाभ नहीं है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की भूमिका केवल समझने के लिए नहीं है

और प्रासंगिक साक्ष्य को प्रकाश में लाना, लेकिन इसके सामने तथ्यात्मक मैट्रिक्स के लिए प्रासंगिक कानूनों को लागू करना भी। यह आगे प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को आपस में बदल दिया है और मिश्रित कर दिया है। जबकि आरोप मुख्य रूप से तीन खुले चेक जारी करने और रुपये की कथित गैरकानूनी निकासी के संबंध में बनाए गए थे। 10 खाता सं. से लाख। 282 , निचली अदालतों ने अपीलार्थी को इस आधार पर दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ाया है कि उसने समय से पहले और धोखाधड़ी से दो एफ. डी. आर. को फंसाया, जो बी. सत्यजीत रेड्डी के नाम पर थे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था, कहा कि बी. सत्यजीत रेड्डी को नुकसान हुआ था। लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ आरोप, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ नंबर 5 में देखा जा सकता है, यह था कि तीनों अभियुक्तों ने अपने धोखाधड़ी और अवैध कार्यों से बैंक को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, जैसा कि विद्वान एन. राघवेंदर बनाम ने बताया है।

आंध्र प्रदेश राज्य, सी. बी. आई. [सूर्या कांत, जे.]

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के कार्य उसके लाभ के लिए नहीं थे, बल्कि उसके बहनोई, अर्थात अभियुक्त संख्या 3 के लाभ के लिए थे। हालाँकि, अपीलार्थी के बहनोई को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था और राज्य द्वारा उसके बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। इन अंतर्विरोधों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यदि वर्तमान मामले को अधिक बारीकी से देखा जाए तो न्यायिक संयम की सीमाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।

आरोपित होने पर अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए आवश्यक सामग्री आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 477 ए के तहत।

धारा 409 के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री

आईपीसीः 41. आई. पी. सी. की धारा 409 किसी लोक सेवक या बैंकर द्वारा उसे सौंपी गई संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। द.

अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि अभियुक्त, एक लोक सेवक या एक बैंकर को वह संपत्ति सौंपी गई थी जिसके लिए वह विधिवत रूप से जवाबदेह है और उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है। (देखिएः सदुपति नागेश्वर राव बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य ')।

42. सार्वजनिक संपत्ति और बेईमानी को सौंपना

धारा 405 के तहत दर्शाए गए तरीके से उसका दुरुपयोग या उपयोग धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। 409 आईपीसी. 'आपराधिक विश्वासघात' शब्द को आई. पी. सी. की धारा 405 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति या किसी संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा गया है, वह बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित हो जाता है, या कानून के विपरीत उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटान करता है, या उस तरीके को निर्धारित करने वाले किसी कानून का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट को निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, आदि का उल्लंघन करता है, उसे विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 405 को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को संतुष्ट किया जाना चाहिएः

किसी भी व्यक्ति को संपत्ति या कोई अधिराज्य सौंपना।

(1)

संपत्ति पर;

उस व्यक्ति ने बेईमानी से गलत तरीके से कब्ज़ा किया है या धर्म परिवर्तन किया है

((ख)

उस संपत्ति को अपने उपयोग के लिए;

या वह व्यक्ति जो बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान कर रहा है

(iii)

या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करने के उल्लंघन में ऐसा करने के लिए

कानून का कोई निर्देश या कानूनी अनुबंध।

43. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 405 में उपयोग किया गया महत्वपूर्ण शब्द 'बेईमान' है और इसलिए, यह पुरुषों के अस्तित्व से पहले है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति को बिना किसी गबन के बनाए रखना आपराधिक दायरे में नहीं आ सकता है।

जिसका अर्थ है अनुचित तरीके से अपने उपयोग के लिए अलग करना और मालिक को अलग करना। 44. आई. पी. सी. की धारा 405 के अर्थ के भीतर 'आपराधिक विश्वासघात' के दो बुनियादी तत्व जल्द ही साबित हो जाते हैं, और यदि ऐसा आपराधिक उल्लंघन किसी लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा किया जाता है, तो आपराधिक विश्वासघात का उक्त अपराध आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत दंडनीय है, जिसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि:

अभियुक्त को लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी होना चाहिए।

((i)

या एजेंट;

((ख)

उसे इस तरह की क्षमता में सौंपा गया होगा संपत्ति; और

उसने विश्वासघात किया होगा

(iii)

ऐसी संपत्ति।

45. तदनुसार, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त, लोक सेवक या बैंकर आदि को उस संपत्ति के लिए 'सौंपा' गया था जो उसे कर्तव्य है।

इस बात के लिए बाध्य कि ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक विश्वासघात किया है, आई. पी. सी. की धारा 409 को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। 'संपत्ति सौंपना' एक व्यापक और सामान्य अभिव्यक्ति है। जबकि प्रारंभिक जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने की है कि विचाराधीन संपत्ति अभियुक्त को 'सौंपी गई' थी, संपत्ति को सौंपने या उसके गबन के वास्तविक तरीके को आगे साबित करना आवश्यक नहीं है।

' 'समर्पण' अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है या अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है, तो बोझ अभियुक्त पर यह साबित करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है कि सौंपी गई संपत्ति के प्रति दायित्व कानूनी और संविदात्मक रूप से स्वीकार्य तरीके से किया गया था।

धारा 420 के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री

आईपीसीः 46. आई. पी. सी. की धारा 420 में प्रावधान है कि जो कोई भी धोखाधड़ी करता है और इस तरह किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी को देने के लिए धोखा देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है।

व्यक्ति, या मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी, जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगाई गई है, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, सात साल तक की अवधि के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

47. यह सर्वोपरि है कि धारा के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए

420 आई. पी. सी. के अनुसार, अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है, बल्कि यह भी कि ऐसा करके उसने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया है। इस प्रकार, इस अपराध के तीन घटक हैं, अर्थात्, (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना, (ii) धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, और (iii) अपराध करने के समय अभियुक्त का पुरुष कारण।

प्रलोभन। यह बिना कहे चला जाता है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए, धोखाधड़ी और बेईमान इरादे उस शुरुआत से मौजूद होने चाहिए जब वादा या प्रतिनिधित्व किया गया था।

48. यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि 'बेईमानी' वाक्यांश गलत लाभ या गलत नुकसान करने के जानबूझकर इरादे पर जोर देता है, और जब इसे धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण के साथ जोड़ा जाता है, तो अपराध आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय हो जाता है। इसके विपरीत, अनुबंध का केवल उल्लंघन धारा 420 के तहत आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया जाता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि धारा 420 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के उद्देश्य से, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को स्थापित करना चाहिए। उचित संदेह से परे, पुरुष उसकी ओर से सही हैं। जब तक शिकायत में यह नहीं दिखाया गया है कि शिकायतकर्ता के पैसे के साथ अलग होने के समय आरोपी का बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा था, यह आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध नहीं होगा और यह केवल उल्लंघन के बराबर हो सकता है।

अनुबंध।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 477 के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री

ए आई. पी. सी.:

49. आई. पी. सी. का अंतिम प्रावधान जिसके साथ हम इस अपील में संबंधित हैं, धारा 477 ए है, जो अपराध को परिभाषित और दंडित करता है - ' खातों का मिथ्याकरण '। प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी, एक क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते, या उस क्षमता में कार्यरत या कार्य कर रहा है, जानबूझकर और धोखाधड़ी करने, नष्ट करने, बदलने, विकृत करने या झूठ बोलने के इरादे से।

पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या खाता जो उसके नियोक्ता से संबंधित है या उसके कब्जे में है, या जो उसे अपने नियोक्ता के लिए या उसकी ओर से प्राप्त हुआ है, या जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से, या यदि वह ऐसा करने में सहायता करता है, तो वह कारावास से दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा जो सात साल तक हो सकता है। यह धारा अपने सीमांत नोट के माध्यम से इस विधायी इरादे को इंगित करती है कि यह केवल उन जगहों पर लागू होता है जहां खातों का मिथ्याकरण होता है, अर्थात्, बहीखाता या लिखित खाते।

50. आई. पी. सी. की धारा 477 ए के तहत एक आरोप में, अभियोजन पक्ष ने

इसलिए, यह साबित करना चाहिए-(क) कि अभियुक्त ने नष्ट किया, परिवर्तित किया, विकृत किया या किताबें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागजात, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या खाते को गलत साबित किया; (बी) आरोपी ने एक क्लर्क, अधिकारी या नियोक्ता के नौकर के रूप में अपनी क्षमता में ऐसा किया; (सी) किताबें, कागजात, आदि। वह अपने नियोक्ता से संबंधित है या उसके कब्जे में है या उसके लिए प्राप्त किया गया था या

अपने नियोक्ता की ओर से; (घ) अभियुक्त ने जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से ऐसा किया। 51. आइए अब हम यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य का परीक्षण करें कि उपरोक्त के तहत एक प्रत्यक्ष मामला है या नहीं-आई. पी. सी. के तीन प्रावधानों में कहा गया है -

अपीलार्थी के खिलाफ बनाया गया? 52. हम इस स्तर पर, अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों के दो सेटों को दोहरा सकते हैं। पहला, यह है कि अपीलार्थी ने अपने अधिकारी का दुरुपयोग किया

उक्त खाते में अपर्याप्त धन होने के बावजूद, बैंक में पद प्राप्त किया और 1994 में खाते से धन निकालने के लिए तीन खुले चेक पारित किए, और इस तरह अपने बहनोई, अभियुक्त संख्या 3 को अनुचित लाभ दिया। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी की इन कार्रवाइयों से बैंक को गलत नुकसान हुआ है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इस लेन-देन को जानबूझकर चालू खाते की खाता बही में दर्ज नहीं किया गया था। 282 (Ex P23) ताकि मुख्य कार्यालय से अपराध की जांच की जा सके। दूसरा आरोप, जो नीचे दी गई दो अदालतों के अनुसार आरोप की गंभीरता थी, वह है कि रुपये के दो एफ. डी. आर।

10,00,000 / - और रु. 4,00,000 / - , क्रमशः बी. सत्यजीत रेड्डी एन. राघवेंदर बनाम।

फरवरी 1995 में अपीलार्थी द्वारा समय से पहले भुनाया गया था, और उसके बाद उक्त राशि को खाता संख्या में स्थानांतरित कर दिया गया था। 282. यह आगे माना गया है कि भले ही दोनों एफ. डी. आर. रुपये की संयुक्त राशि के लिए थे। 14 लाख, केवल रु। 4 अकादमी के खाते में लाखों रुपये जमा किए गए। शेष राशि को वर्ष 1994 में गुप्त निकासी के लिए समायोजित किया गया था।

53. भले ही आरोपों के दो समूह एक ही लेन-देन के निरंतर भाग हैं, संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि दोनों आरोपों की पहले स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकती है। (ए) रुपये की धोखाधड़ी और गैरकानूनी निकासी। 10 वर्ष 1994 में खाता संख्या 282 से लाख।

54. हम स्पष्ट रूप से नोट कर सकते हैं कि जहां तक इस आरोप का संबंध है, 'प्रत्यर्पण' के तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है। शाखा प्रबंधक होने के नाते अपीलार्थी बैंक ग्राहकों द्वारा की गई जमा राशि के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था। लेन-देन के इस समूह के संबंध में अभियोजन पक्ष ने पांच-आयामी दावा किया है। सबसे पहले, अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने की साजिश रची। दूसरा, अपीलार्थी ने तीन खुले चेकों के उपयोग की अनुमति दी। तीसरा, चेक अपीलार्थी द्वारा पारित किए गए थे, भले ही वहाँ थे

55. सबसे पहले यह ध्यान दिया जा सकता है कि निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो तीनों अभियुक्तों के बीच कोई साजिश थी व्यक्तियों, और न ही निकासी के परिणामस्वरूप अभियुक्त संख्या 3 को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। वास्तव में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने इस हद तक अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त संख्या 3 ने अकादमी के खजांची/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के सामान्य क्रम में ही कार्य किया। चूँकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संख्या 3 को बरी नहीं किया है, इसलिए उसकी बेगुनाही के संबंध में निष्कर्ष अंतिम रूप ले चुके हैं। किसी भी मामले में, अभियोजन पक्ष ने कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया है जो अपीलार्थी और उसके सह-अभियुक्त के बीच मन की पूर्व बैठक का संकेत देता हो।

56. इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीन अभियुक्त व्यक्तियों में से, शाखा प्रबंधक होने के नाते, अपीलार्थी के पास जारी करने का एकमात्र अधिकार था और [2021] 12 एस. सी. आर.

तीन खुले चेक पास करें। हालांकि रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक खुला चेक जारी करना बैंक में अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया से अलग था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि यह एक 'अवैध प्रथा' थी। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 का निक्षेपण स्पष्ट है इस बिंदु पर। दोनों ने बयान दिया है कि व्यापार के सामान्य क्रम में, चेक धारक को केवल उन चेकों का उपयोग करना चाहिए जो उसे जारी किए जाते हैं, लेकिन कुछ आकस्मिकताओं या असाधारण स्थितियों में, बैंक खुले चेक भी जारी कर सकता है। चूँकि खुले चेक जारी करने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध साबित नहीं हुआ है, केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने उन खुले चेकों को जारी किया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने गैरकानूनी रूप से काम किया या 'आपराधिक कदाचार' किया।

57. अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक इस आधार पर टिका था कि विचाराधीन तीन चेक, अर्थात, पूर्व। पी25 से पी27 तक, पारित किए गए थे भले ही खाता संख्या 282 में पर्याप्त धन नहीं था। पहला चेक (एक्स पी25) रुपये की राशि के लिए था। 2.5 लाख और 23.04.1994 पर पारित किया गया था; दूसरा चेक (Ex P26) जो रु। 4 लाख रुपये 30.06.1994 पर पारित किए गए थे और तीसरा चेक (Ex P27) 30.07.1994 पर रुपये की राशि के लिए पारित किया गया था। 3.5 लाख। जबकि

पीडब्लू-2 ने पदच्युत किया कि पूर्व पी25 के पारित होने के समय पर्याप्त धन था, उन्होंने पूर्व पी26 और पूर्व पी27 के पारित होने पर धन की अपर्याप्तता का दावा किया। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में पीडब्लू-2 के रुख का खंडन किया और पूरे खाते संख्या 282 में पर्याप्त धन होने के बारे में गवाही दी। अपीलार्थी के रुख की पुष्टि शाखा के लेखाकार पीडब्लू-6 की गवाही से भी होती है। हमने खाता संख्या 282 (पूर्व पी23) के लिए चालू खाता बही का अवलोकन किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि खाता संख्या 282 में सभी तीन चेकों को पास करने के लिए पर्याप्त धन था। इस प्रकार, यह तर्क कि खाता संख्या 282 में अपर्याप्त धन के बावजूद तीन चेक पारित किए गए थे, कायम नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि जहां तक लेन-देन के इस हिस्से का संबंध है, बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

58. आई. पी. सी. की धारा 477-ए के तहत आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन का प्राथमिक तर्क यह है कि पारित करने के बावजूद

तीन चेक (पूर्व पी25 से पूर्व पी27), अपीलार्थी ने खाता संख्या 282 के चालू खाता बही (पूर्व पी23) में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ नहीं कीं। ऐसा कथित तौर पर निकासी को छिपाने के लिए किया गया था क्योंकि अकादमी के खाते में अपर्याप्त धन था। हम ध्यान दे सकते हैं कि 477-ए की धारा के तहत दी गई अभिव्यक्ति 'धोखाधड़ी करने का इरादा' में एन. राघवेंदर बनाम शामिल है।

दो तत्व, छल और चोट। जहाँ तक दूसरे तत्व का संबंध है, यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई थी

बैंक।

59. 'छल' के सवाल के संबंध में, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-6 के बयानों से पता चलता है कि हालांकि चालू खाता खाता बही में प्रासंगिक प्रविष्टियां गायब थीं, लेकिन उनका उल्लेख बैंक द्वारा बनाए गए अन्य खाता बही में मिलता है, अर्थात् अधिकारी नकद सूची और कैशियर भुगतान रजिस्टर। पीडब्लू-6 ने आगे कहा है कि एक्स पी25 से संबंधित प्रविष्टि का उल्लेख चालू खाता बही में किया गया है। खाता-पूर्व पी23 से पता चलता है कि पी. डब्ल्यू.-6 के बयान में कुछ सच्चाई है। यह देखा जा सकता है कि रुपये की राशि के लिए एक पेंसिल से एक प्रविष्टि की गई है। 2.5 लाख और एक्स पी 25 का प्रासंगिक चेक नंबर भी दर्ज किया गया है। हमने आगे नोट किया है कि दो अन्य प्रविष्टियों को एक्स डी 3 और एक्स डी 4 के रूप में चिह्नित किया गया है, जो रुपये की अन्य राशि से संबंधित हैं। 4 लाख और रु। 3.5 लाख भी जोड़े गए हैं, लेकिन यहां प्रासंगिक चेक संख्या दर्ज नहीं की गई है। जब इसे पीडब्लू-2 के निक्षेपण के आलोक में देखा जाता है, तो अन्य प्रासंगिक खाते का उत्पादन न करने की अनदेखी नहीं की जा सकती है। क्या अभियोजन पक्ष ने अन्य खाता-बही पेश किए थे उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, हम एक वैकल्पिक दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक होंगे। लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष और प्रासंगिक साक्ष्य को रोक दिया गया है, इसलिए इस तरह की विफलता के लिए संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

60. यह भी आरोप लगाया गया है कि रुपये की उपरोक्त राशि। 10 अपीलार्थी द्वारा एक लाख रुपये एकत्र किए गए थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी है

कि बैंक में संचालन प्रक्रिया में यह शामिल था कि चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर चेक के पीछे की ओर दर्ज किए जाएंगे। जहाँ तक इस आरोप का संबंध है, दो आपत्तिजनक परिस्थितियाँ दर्ज की गई हैं। पहला, जैसा कि पीडब्लू-2 द्वारा अपदस्थ किया गया था और पीडब्लू-10 द्वारा पुष्टि की गई थी, चेक के पीछे हस्ताक्षर अभियुक्त संख्या 3 के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे। दूसरा, अपीलार्थी की पत्नी-एन. ललिता के हस्ताक्षर, पूर्व के पीछे दिखाई देते हैं। पी25। निस्संदेह, यह एक संदेह पैदा करता है। लेकिन जैसा कि अभिलेख से भी देखा जा सकता है, इस मुद्दे पर भी विरोधाभास हैं। पीडब्लू-4 ने स्वीकार किया है कि तीन चेकों के लिए भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था और बाद में उसने उसे अभियुक्त संख्या 3 को सौंप दिया, जो संबंधित समय पर अपीलार्थी के कार्यालय कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा था। इसके अलावा, नीचे दी गई किसी भी अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि अपीलार्थी

कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया और न ही कोई अन्य प्रतिकूल परिस्थिति [2021] 12 एस. सी. आर.

(बी) बी. सत्यजीत रेड्डी से संबंधित दो एफ. डी. आर. का अनधिकृत समय से पहले भुनाना। 61. अब हम दो एफ. डी. आर. को कथित रूप से समय से पहले वापस लेने और उसके बाद के आरोपों के दूसरे समूह पर विचार कर सकते हैं।

रुपये का अनधिकृत हस्तांतरण। 14 खाता संख्या 282 में लाखों। यह ध्यान दिया जा सकता है कि समय से पहले निकासी के आरोप के साथ यह भी कहा गया है कि समय से पहले निकासी के बावजूद, दो एफ. डी. आर. से संबंधित ब्याज बी. सत्यजीत रेड्डी के बचत खाते संख्या 5520 में जमा किए जाते रहे। हालाँकि, ब्याज राशि खाता संख्या 5555 से हस्तांतरित की गई थी, जो अपीलार्थी और उसकी पत्नी के नाम पर थी। यह आरोप लगाया जाता है कि बाद में ब्याज का भुगतान एफ. डी. आर. धारक को यह विश्वास दिलाने के लिए 'धोखा' देने के लिए किया गया था कि एफ. डी. आर. अभी भी जीवित हैं।

62. जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को सही तरीके से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

दुरुपयोग। एक बार जब 'प्रत्यर्पण' स्वीकार या साबित हो जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर होती है कि उसे सौंपी गई संपत्ति को उसके द्वारा स्वीकार्य तरीके से निपटाया गया था। इस प्रकार, इस बेईमान इरादे से गबन 'आपराधिक विश्वासघात' के प्रमाण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत अपराध विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

एक बैंक अधिकारी के मामले में इसकी प्रयोज्यता के संबंध में, यह इंगित करना उपयोगी है कि बैंकर वह है जो मालिक के पास अवसर होने पर फिर से निकालने के लिए धन प्राप्त करता है। चूंकि वर्तमान मामले में एक पारंपरिक बैंक लेनदेन शामिल है, इसलिए यह आगे ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी स्थितियों में, ग्राहक ऋणदाता है और बैंक उधारकर्ता है, बाद वाला ग्राहक के चेक को सम्मानित करने के लिए एक अतिरिक्त दायित्व के तहत है। वह पैसा जो एक ग्राहक बैंक में जमा करता है, उसके पास उसके लिए विश्वास पर नहीं होता है। यह बैंकर के कोष का एक हिस्सा बन जाता है जो एक संविदात्मक दायित्व के तहत होता है कि वह ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान ब्याज की सहमत दर के साथ मांग पर करता है। ग्राहक और बैंक के बीच ऐसा संबंध लेनदार और देनदार दोनों में से एक है। बैंक ग्राहकों को पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जब तक उसे भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक बैंक लाभ अर्जित करने के लिए किसी भी तरह से पैसे का उपयोग करने का हकदार है।

63. हाथ में मामले में, अपीलार्थी ने धारा 313 Cr.P.C के तहत अपनी जांच में न तो समयपूर्व के तथ्य पर विवाद किया है।

निकासी, और न ही खाता संख्या 282 में राशि के बाद के हस्तांतरण का। इसके विपरीत, उन्होंने विशेष रूप से दावा किया है कि उन्होंने केवल ग्राहक द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर काम किया है। अपीलार्थी ने बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा लिखित और शाखा प्रबंधक को संबोधित दो पत्र (पूर्व पी6 और पूर्व पी7) प्रस्तुत करके अपने दावे को मजबूत किया है। द.

हस्ताक्षर विशेषज्ञ (पीडब्लू-10) के बयान ने अपीलार्थी के बयान को कुछ विश्वास दिलाया है क्योंकि उनकी राय के अनुसार, दोनों पत्रों पर बी. सत्यजीत रेड्डी के हस्ताक्षर हैं।

64. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इन दोनों पत्रों की वास्तविकता पर विवाद किया और अपीलार्थी पर इन्हें हासिल करने का आरोप लगाया

पुराने अक्षर। अपीलार्थी के बाद के आचरण यानी बी. सत्यजीत रेड्डी के अपने खाते से ब्याज जमा करने पर इस बात पर जोर देने के लिए जोर दिया गया है कि अपीलार्थी ने

एफ. डी. आर. धारक की जानकारी या सहमति के बिना और कानून के उल्लंघन में निकासी। बाद के तथ्य ने नीचे दिए गए न्यायालयों के दिमाग पर भारी भार डाला क्योंकि दोनों ने इस धारणा पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़े हैं कि उसे समय से पहले नकदीकरण और हस्तांतरण के लिए कोई प्राधिकरण प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार इस तथ्य पर एक गंभीर विवाद है कि बी. सत्यजीत रेड्डी ने समय से पहले निकासी और बाद में एफ. डी. आर. की आय को अकादमी के खाते में स्थानांतरित करने की मांग की थी या नहीं। हवा को साफ करने और हमें प्रबुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होगा स्वयं बी. सत्यजीत रेड्डी थे, लेकिन न तो वे जाँच/लेखा परीक्षा या जाँच के दौरान जुड़े थे और न ही मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उनकी जाँच की गई थी।

65. जाँच एजेंसी ने बी. सत्यजीत रेड्डी का बयान धारा 161 Cr.P.C के तहत या अदालत के रूप में दर्ज करने की परवाह नहीं की।

गवाह। यहाँ तक कि एक फुसफुसाहट भी नहीं है कि बी. सत्यजीत रेड्डी को शुरुआत से ही अपीलार्थी ने जीत लिया था और/या किसी भी स्तर पर उनकी जांच व्यर्थ में एक अभ्यास होता। इसके अलावा, बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा अपीलार्थी या बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके एफ. डी. आर. का दुरुपयोग करने या उन्हें कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की गई है। इसके विपरीत, अपीलार्थी ने रिकॉर्ड पर दो दिनांकित 22.02.1995 और 24.02.1995 पत्र प्रस्तुत किए हैं। (एक्स पी6 और एक्स पी7) कथित तौर पर बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा अपने एफ. डी. आर. को समय से पहले भुनाने और अकादमी के खाते में राशि जमा करने के लिए लिखा गया था। ये दो पत्र (जिन पर अपीलार्थी पर पूर्ववत प्राप्त करने का आरोप है) सुझाव देते हैं कि उनकी प्रतियां भौतिक रूप से प्राप्त की गई थीं/[2021] 12 एस. सी. आर.

बैंक के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को सौंपा गया। वहाँ इस प्रकार, बी. सत्यजीत रेड्डी जैसे मूल्यवान ग्राहक से संपर्क करने और उन पत्रों की वास्तविकता के बारे में पूछताछ करने के लिए पर्याप्त समय था। बैंक के अध्यक्ष (पीडब्लू-1) ने सीबीआई दिनांक 27.11.1995 (एक्स पी1) को अपनी शिकायत में इन दो पत्रों की वास्तविकता के बारे में एक भी गंजा आरोप नहीं लगाया जो पहले से ही उनके कब्जे में थे। दुर्भाग्य से, सी. बी. आई. ने भी बी. सत्यजीत रेड्डी से संपर्क करने और सही तथ्यों का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बी. सत्यजीत रेड्डी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। इस प्रकार, यह निर्विवाद रूप से उभरता है किः

((i)

बी. सत्यजीत रेड्डी ने किसी नुकसान का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत नहीं की थी

उसे;

उनके लिखित अनुरोध दिनांक 22.02.1995 और 24.2.1995 (पूर्व

((ख)

पी6 और एक्स पी7) अप्रचलित हो गए हैं;

(iii)

अभियोजन पक्ष ने निश्चित रूप से ब्याज का भुगतान साबित किया है

उन एफ. डी. आर. को बी. सत्यजीत रेड्डी को पूर्व-परिपक्व रूप से बंद करने के बाद भी, लेकिन वह भुगतान अपीलार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते से किया गया था और कोई सार्वजनिक निधि नहीं दी गई है।

इस तरह के भुगतान के लिए विभाजित;

(iv) बी. सत्यजीत रेड्डी को इसके बाद भी ब्याज मिल रहा है।

एफ. डी. आर. को समय से पहले भुनाना। हो सकता है कि उन्हें अनुचित मौद्रिक लाभ मिला हो या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ।

66. इन तथ्यों पर अपना चिंतित विचार देने के बाद, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष आरोप स्थापित करने में विफल रहा है

एक उचित संदेह से परे अपीलार्थी के खिलाफ विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं कि बी. सत्यजीत रेड्डी की गैर-जाँच अभियोजन पक्ष के मामले के लिए भौतिक रूप से घातक रही है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि बी. सत्यजीत रेड्डी से जानबूझकर पूछताछ नहीं की गई थी क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के खिलाफ गवाही दी होगी। निस्संदेह, कुछ सिद्ध तथ्य, जैसे अपीलार्थी

के खाते से बी. सत्यजीत रेड्डी के खाते में ब्याज राशि जमा करना, अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है, संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। इसलिए, हमारा दृढ़ विश्वास है कि साबित करने के लिए ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के अभाव में

कि अपीलार्थी ने बैंक और/या बी. सत्यजीत रेड्डी के धन का दुरुपयोग किया है, उसे आई. पी. सी. की धारा 409 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

67. जहां तक आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत आरोप का संबंध है, एक बार फिर सबसे अच्छा और एकमात्र व्यक्ति जो इस बात पर प्रकाश डाल सकता था कि क्या वह स्वेच्छा से अकादमी के खाते में अपनी एफ. डी. आर. राशि स्थानांतरित करने के लिए सहमत हुआ था या नहीं या प्रलोभन, धोखाधड़ी या झूठे वादे का कोई तत्व था, बी. सत्यजीत रेड्डी स्वयं थे जिन्होंने गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया है। बी. सत्यजीत रेड्डी द्वारा अपने एफ. डी. आर. के दुरुपयोग के बारे में एक साधारण शिकायत के अभाव में, यह बहुत दूर की बात होगी। यह अभिनिर्धारित करना कि अपीलार्थी के पास बी. सत्यजीत रेड्डी की मूल्यवान संपत्ति को धोखा देने या दुरुपयोग करने या नष्ट करने का कोई कारण था।

68. हम इस स्तर पर, संक्षेप में नोट कर सकते हैं कि विद्वान वरिष्ठ वकील

क्योंकि अपीलार्थी ने एक और तर्क उठाया था, अर्थात्, आई. पी. सी. की धारा 409 और धारा 420 के तहत आरोप एक साथ नहीं जा सकते हैं। वह मुखरता से

तर्क दिया कि दोनों अपराधों के आवश्यक तत्व प्रकृति में परस्पर विरोधी हैं। आई. पी. सी. की धारा 409 (या 405) उन अपराधों से संबंधित है जहां आरोपी को संपत्ति सौंपी गई है और आई. पी. सी. की धारा 420 उन अपराधों से संबंधित है जहां आरोपी ने पीड़ित/शिकायतकर्ता को संपत्ति के साथ जाने के लिए 'बेईमानी से प्रेरित' किया है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि किसी अभियुक्त पर दोनों धाराओं के तहत एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हालाँकि, इस तर्क को पूर्व में बताई गई चर्चा और निष्कर्षों के आलोक में अकादमिक बना दिया गया है। इस प्रकार हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं और इस प्रश्न को एक उपयुक्त मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ देते हैं।

हालाँकि वह आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 477-ए के निषिद्ध क्षेत्र (क्षेत्रों) में अतिक्रमण न करने के लिए काफी चतुर था, लेकिन उसने बैंक को वित्तीय नुकसान पहुँचाने का जोखिम उठाया। बी. सत्यजीत रेड्डी के एफ. डी. आर. पर अर्जित ब्याज को उनके व्यक्तिगत खाते से जमा करने और इस तरह बैंक को इस तरह के दायित्व से मुक्त करने के उनके बाद के कार्य के बावजूद, अपीलार्थी की कार्रवाई सकल विभागीय कदाचार का गठन करती है और एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी के लिए अशोभनीय है। बैंक के प्रबंधन ने अपीलार्थी में विश्वास खो दिया और उसके आचरण के आधार पर उस पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी की सजा पूरी तरह से उचित है, जिसके कारण उसे निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, समान तथ्यात्मक निष्कर्षों को दोहराने के लिए किसी भी विभागीय जांच की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी जो आपराधिक मुकदमे के दौरान सामने आए हैं। हालाँकि इस तरह के निष्कर्ष अपीलार्थी पर आपराधिक दायित्व को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, बैंक की सेवा से उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह से वैध है और [2021] 12 एस. सी. आर.

इस प्रकार दी गई सजा, सिद्ध दुराचार के अनुपात में होती है। हम ऐसा इस कारण से भी कहते हैं कि न तो अपीलार्थी को संदेह के लाभ का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है और न ही इस विलंबित चरण में विभागीय जांच का सहारा लेना वांछनीय है। दूसरी ओर, दिनांकित 06.01.2006 बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने से जनहित का लाभ होगा और अपीलार्थी के साथियों के बीच एक उपयुक्त संदेश जाएगा।

70. हम यह देखने के लिए भी विवश हैं कि इस मामले में सी. बी. आई. ने या तो एक लापरवाह और कठोर दृष्टिकोण अपनाया है या कुछ ऐसा था

एक निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के लिए छिपा हुआ दबाव। परिणामी प्रभाव यह है कि यद्यपि अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और/या बैंक रिकॉर्ड के मनगढ़ंत होने का प्रबल संदेह है, लेकिन इस तरह का संदेह उसे आपराधिक आरोपों का दोषी ठहराने के लिए निर्णायक सबूत से कम है। अभियोजन पक्ष द्वारा सबसे अच्छा साक्ष्य रोके जाने के बाद, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुमानों और अनुमानों के आधार पर कोई दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है। बैंक के अभिलेखों को प्रस्तुत न करना भी तत्काल मामले में की गई जाँच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है।

71. उपरोक्त चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, वर्तमान अपील में निम्नलिखित निर्विवाद कारक सामने आए हैं:

सबसे पहले, बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।

दूसरा, हमारे सामने मौजूद रिकॉर्ड से यह संकेत नहीं मिलता है कि बी. सत्यजीत रेड्डी या कंपनी के किसी अन्य ग्राहक को कोई आर्थिक नुकसान हुआ था।

बैंक।

तीसरा, हमारे सामने मौजूद सामग्री किसी साजिश का खुलासा नहीं करती है

अभियुक्त व्यक्तियों के बीच। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में जो मन की पूर्व बैठक को उजागर कर सकता है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने अभियुक्त संख्या 3 को अनुचित लाभ देने के लिए विचाराधीन लेनदेन की साजिश रची। चौथा, अपीलार्थी ने शाखा प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके घोर दुराचार किया। अंतिम परिणाम के बावजूद, अपीलार्थी द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग ने स्पष्ट रूप से बैंक को वित्तीय नुकसान के जोखिम में डाल दिया।

पाँचवाँ, अपने कर्तव्यों में लापरवाही के बावजूद, अपीलार्थी के खिलाफ साबित होने वाला कोई भी कार्य 'आपराधिक दुराचार' का गठन नहीं करता है या इसके अंतर्गत नहीं आता है। आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 477-ए.

निष्कर्षः

72. हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 477 ए के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उसकी दोषसिद्धि को भी कायम नहीं रखा जा सकता है। लेकिन संदेह का लाभ यह है कि 'मजबूत संदेह' और 'निर्णायक प्रमाण' के बीच एक छोटे से अंतर के कारण उसे दिया गया, वह अपनी बहाली की मांग करने या बैंक से अन्य सेवा लाभों का दावा करने के लिए दूसरे दौर का बीमा शुरू करने का हकदार नहीं होगा। हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अपीलार्थी को घोर विभागीय दुराचार का दोषी माना जाता है, जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी की सजा पर्याप्त रूप से दी गई है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि घरेलू जांच में कदाचार को स्थापित करने के लिए सबूत का मानक, यानी सबूत की प्रधानता, किसी भी उचित संदेह से परे 'आपराधिक आरोप' को साबित करने के लिए बहुत अलग है। अपील यह है कि

तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया। जमानत बांड, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए गए

अपीलार्थी द्वारा पदमुक्त किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे